

## आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं०.....02..... / 17-18

राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं०-BR-50A-9467

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख-सहित। 3
26.8.18	<p>अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में वाद संख्या Misc 34/15 दिनांक- 04.11.2015 बिहार उत्पाद अधिनियम 47 (a) में जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं०- BR-50A-9467 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।</p> <p>अधीक्षक उत्पाद द्वारा बताया गया कि दिनांक- 04.11.2015 को पदुआहा मध्य विधालय के सामने वाली गली सड़क, थाना-सदर, जिला-सहरसा के समीप पुलिस अवर निरीक्षक, नितेश कुमार, सदर थाना, सहरसा द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना आता हुआ दिखाई दिया तो उसे रोककर उक्त मोटर साईकिल रजि० नं०- BR-50A-9467 को चेक किया तो उस मोटर साईकिल पर उजला रंग के दो बोरा में बंधा हुआ देशी शराब 217 बोतल प्रत्येक बोतल 400 एम०एल० देशी शराब (कुल 86.8 लीटर देशी शराब ) बरामद हुआ। मोटर साईकिल चालक मो० मुन्ना पिता-मो० इस्माईल, ग्राम-बैजनाथपुर थाना-सौरबाजार, जिला- सहरसा का है। मो० मुन्ना को अग्रतर कार्रवाई हेतु उत्पाद विभाग को सुपुर्द कर दिया गया।</p> <p>राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन से अवैध देशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से शराब का परिवहन किया जाता है। उनके द्वारा यह भी बताया</p>	



96-8-18

गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-99 विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किए गए सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधान भी लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किए जाएंगे ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीय वाहन मालिक के विद्वान, अधिवक्ता, द्वारा उक्त वाहन से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त नहीं रहने सम्बन्धित कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके और न ही लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। जप्त वाहन से अवैध शराब का परिवहन दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः इस वाद के अन्तर्गत जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं०- BR-50A-9467 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को दें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहत्ती,  
सहरसा।

समाहत्ती,  
सहरसा।



समाहरणालय सरहसा  
(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 765-2 / विधि, दिनांक 03-06-17.

- प्रतिलिपि :- अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रभारी पदाधिकारी,  
विधि शाखा, सहरसा।

28-5-17

